

**न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
गोहद जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश**

प्रकरण क्रमांक : 1500 / 11 इ.फौ.

संस्थापन दिनांक : 29.12.2011

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना मौ जिला भिण्ड म.प्र.

— अभियोजन

बनाम

पवन शर्मा पुत्र उमाशंकर उपाध्याय, जाति ब्राम्हण उम्र
30 वर्ष निवासी धर्मगढ़ थाना पोरसा जिला मुरैना म.प्र.

— अभियुक्त

निर्णय

(आज दिनांक.....को घोषित)

1. उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध धारा 25(1-बी)ए आयुध अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि दिनांक 16.10.11 को 17:00 बजे सर्किट हाउस के पास मौ मेहगांव रोड गोहद रोड तिराहा पर अपने अधिपत्य में एक 315 बोर का कट्टा, एक जिंदा राउण्ड व एक 315 बोर का खोखा अवैध रूप से अपने अधिपत्य में रखा जिसके रखने का उसके पास वैध लाइसेन्स नहीं था।
2. अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि घटना दिनांक 16.10.11 को फरियादी सी.आर.मीणा अ0सा05 थाना प्रभारी मौ के पद पर पदस्थ था तब थाने पर उसे मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति सर्किट हाउस के पास रोड पर गोहद जाने के लिए बस का इंतजार कर रहा है। सूचना रोजनामचा में दर्ज कर आर.एस.चौहान, शिवदत्त शर्मा अ0सा03, नमनसिंह व तेजसिंह के साथ शासकीय वाहन से रवाना होकर बताये स्थान पर पहुंचा जहां एक व्यक्ति मुखबिर के बताये हुलिए पर दिखा जिसे फोर्स की मदद से पकड़ा और उसकी साक्षी कालीचरण अ0सा01 व मुन्नेश अ0सा02 के समक्ष तलाशी ली तो पैन्ट की बांयी तरफ 315 बोर का हाथ से बना देशी कट्टा मिला पैन्ट की दाहिनी जेब में एक 315 बोर का जिंदा राउण्ड मिला और एक 315 बोर का खोखा मिला पूछने पर आरोपी पवन ने अपना नाम बताया और आयुध रखने का लाइसेन्स न होना बताया। मौके पर जप्ती पत्रक प्र0पी-1 बनाकर आरोपी को गिरफ्तारी पत्रक

प्र0पी-2 के द्वारा गिरफ्तार किया गया और थाना वापिसी पर एफ.आई.आर. प्र0पी-6 के अनुसार अप0क0 210/11 पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरान्त आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रकट होने से अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

3. आरोपी ने आरोप पत्र अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है और आरोपी की प्रतिरक्षा है कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।
4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं कि क्या अभियुक्त ने दिनांक 16.10.11 को 17:00 बजे सर्किट हाउस के पास मौ मेहगांव रोड गोहद रोड तिराहा पर अपने अधिपत्य में एक 315बोर का कट्टा, एक जिंदा राउण्ड व एक 315बोर का खोखा अवैध रूप से अपने अधिपत्य में रखा जिसके रखने का उसके पास वैध लाइसेन्स नहीं था ?

// विचारणीय प्रश्न पर सकारण निष्कर्ष //

5. सी.आर.मीणा अ0सा05 ने कथन किया है कि दिनांक 16.10.11 को वह थाना मौ में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ था उक्त दिनांक को उसे मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति सर्किट हाउस तिराहे पर संदिग्ध अवस्था में खड़ा है सूचना उसने रोजनामचे में इन्द्राज की और फोर्स के साथ बताये स्थान पर पहुंचा जहां बताये हुए हुलिए का एक व्यक्ति खड़ा था जिसे हमराह फोर्स की मदद से घेरकर पकड़ा गवाहों को मौके पर बुलाया और उस व्यक्ति की पूछताछ कर नाम पता पूछा तो अपना नाम पवन शर्मा बताया जिसकी तलाशी लेने पर बांयी तरफ कमर में 315बोर का कट्टा मिला और दाहिनी जेब में एक राउण्ड व खोखा मिला पूछने पर लाइसेन्स न होना बताया। मौके पर समक्ष गवाहों के समक्ष जप्ती पत्रक प्र0पी-1 बनाया जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं और आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी-2 बनाया जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं थाना वापिसी पर एफ.आई.आर. प्र0पी-6 लेख की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।
6. साक्षी कालीचरण अ0सा01 व मुनेश अ0सा02 जोकि घटना का स्वतंत्र साक्षी है, ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है और स्पष्ट इंकार किया है कि उनके सामने 315बोर का कट्टा व राउण्ड जप्त हुआ था मात्र जप्ती पत्रक प्र0पी-1 व गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी-2 पर उक्त साक्षीगण ने अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए हैं। अतः उक्त दोनों स्वतंत्र साक्षीगण ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है।
7. साक्षी शिवदत्त शर्मा अ0सा03 का कथन है कि वह आरोपी पवन शर्मा को जानता है। घटना 16.10.11 की है शाम 5 बजे के करीब का समय था। थाना मौ से टी0आई0 मीना, ए.एस.आई. चौहान, वह, एच.सी. नवरंगसिंह, आर0 तेजसिंह, कमलेश, मय चालक अमृतसिंह के शासकीय वाहन से डाक बंगला के पास गोहद तिराहे पर आया तो एक व्यक्ति काला पैन्ट पहने खड़ा दिखा गाड़ी रोककर उसे पकड़ा तथा टी0आई0 द्वारा उसकी तलाशी लेने पर बांये तरफ कमर में पैन्ट के नीचे एक 315 बोर का कट्टा देशी हाथ का बना मिला व पैन्ट की दांयी जेब में एक 315 बोर का जिन्दा कारतूस व एक खाली खोखा 315 बोर का मिला। उस

व्यक्ति का नाम पूछा तो उसने पवन शर्मा निवासी धर्मगढ़ का बताया। कट्टा व राउण्ड के बारे में वैध लाइसेन्स उससे मांगा तो अपने पास न होना बताया। पवन शर्मा से साक्षी कालीचरण व मुनेन्द्र शर्मा के समक्ष कट्टा व राउण्ड जप्त टी0आई0 द्वारा किए गए थे व पवन शर्मा को गिरफ्तार किया गया था। कट्टा व राउण्ड मौके पर सीलबंद किए गए थे बाद टी0आई0 मय हमराही फोर्स व आरोपी व जप्तशुदा आयुध के वापिस थाना आये और उनके द्वारा अप0क्र0 210/11 धारा 25,27 आर्म्स एक्ट का अपराध कायम किया गया।

8. साक्षी योगेन्द्रसिंह कुशवाह अ0सा04 का कथन है कि वह दिनांक 08.12.11 को जिला दण्डाधिकारी भिण्ड के कार्यालय में आर्म्स लिपिक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को पुलिस अधीक्षक भिण्ड के पत्र क्रमांक 943 दिनांक 25.10.11 के द्वारा थाना मालनपुर के अप0क्र0 2010/11 से संबंधित केस डायरी एवं शस्त्र मय कारतूस प्र0आरक्षक बालकृष्ण कटारे द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर अवलोकन पश्चात जिला दण्डाधिकारी श्री अखिलेश श्रीवास्तव द्वारा अभियुक्त पवन उर्फ पंकज पुत्र उमाशंकर उपाध्याय के कब्जे से एक कट्टा 315बोर का देशी मय एक जिंदा राउण्ड 315 बोर व एक खोखा 315 बोर का अवैध रूप से पाये जाने के कारण अवलोकन चलाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी उक्त अभियोजन स्वीकृति प्र0पी-5 है जिसके ए से ए भाग पर तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी श्री अखिलेश श्रीवास्तव के हस्ताक्षर हैं व बी से बी भाग पर उसके लघु हस्ताक्षर हैं उसने उनके अधीनस्थ कार्य किया है इसलिए वह उनके हस्ताक्षरों को पहचानता है।
9. साक्षी सुरेश दुबे अ0सा06 का कथन है कि दिनांक 28.11.11 को वह पुलिस लाइन भिण्ड में आरक्षक आर्म मोहरर के पद पर पदस्थ था उक्त दिनांक को पुलिस थाना मौ के अप0क्र0 210/11 धारा 25,27 आर्म्स एक्ट में जप्तशुदा एक 315 बोर का देशी कट्टा व एक 315बोर का जिन्दा राउण्ड एवं एक 315 बोर के खाली खोखा की जांच उसके द्वारा की गयी थी। जांच के दौरान कट्टा का एक्शन चैक करने पर कट्टा चालू हालत में था तथा 315 बोर कट्टे से फायर किया जा सकता था तथा एक 315 बोर के जिन्दा राउण्ड की पेंदी पर 8एम.एम.के.एफ.93 लिखा हुआ था दूसरा खाली खोखा राउण्ड चला हुआ जिसकी पेंदी पर 8एम.एम.के.एफ. लिखा था। थाना मौ से प्र0आरक्षक 863 रामकिशोर के द्वारा कट्टा, राउण्ड व खोखा एक साथ एक सफेद कपड़े में सीलबंद जांच हुए प्राप्त हुआ। बाद जांच कर सील नमूना लगाकर थाना वापिस किए गए। उसके द्वारा तैयार जांच रिपोर्ट प्र0पी-7 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।
10. सी.आर.मीणा अ0सा05 के कथन का समर्थन स्वतंत्र साक्षी कालीचरण अ0सा01 व मुनेश अ0सा02 ने नहीं किया है मात्र पुलिस साक्षी शिवदत्त अ0सा03 ने किया है। जबकि उसके द्वारा जप्ती पत्रक प्र0पी-1 निष्पादित नहीं किया गया है। शिवदत्त अ0सा03 ने पैरा 3 में कथन किया है कि आरोपी को गोहद वाली रोड पर पकड़ा था तिराहे से गोहद रोड दस कदम की दूरी पर है। कथन प्र0डी-1 में साक्षी ने मौ-मेहगांव रोड पर गोहद जाने वाली रोड के किनारे आरोपी का पकड़ना बताया है और न्यायालयीन साक्ष्य में भी गोहद वाली रोड पर ही आरोपी को पकड़ना बताया है। सी.आर.मीणा अ0सा05 ने पैरा 2 में जप्ती तिराहे पर ही करना बताया है और यह भी स्वीकार किया है कि उन्होंने नक्शामौका नहीं बनाया था। अतः सी.आर.मीणा अ0सा05 व शिवदत्त अ0सा03 ने अलग-अलग

स्थान से आरोपी को गिरफ्तार करना बताया है। यद्यपि शिवदत्त अ0सा03 के कथन से उक्त दूरी मात्र दस कदम की होना स्पष्ट होती है परन्तु घटनास्थल के मानचित्र के अभाव में यह तथ्य अभियोजन के दस्तावेजी साक्ष्य से स्पष्ट नहीं हो सका है।

11. शिवदत्त अ0सा03 ने पैरा 2 में स्वीकार किया है कि पुलिस कथन प्र0डी-1 में उसने सुरेश शर्मा के समक्ष जप्ती और गिरफ्तारी होना बताया है और मुनेन्द्र अ0सा02 के समक्ष जप्ती व गिरफ्तारी होना नहीं लिखाया है। प्रकरण में सुरेश साक्षी नहीं है और मुनेन्द्र अ0सा02 जिसे अभियोजन द्वारा घटना का साक्षी होना बताया गया है, के संबंध में शिवदत्त अ0सा03 के पुलिस कथन प्र0डी-1 में कोई तथ्य उल्लिखित नहीं है उक्त विरोधाभास का शिवदत्त अ0सा03 कोई कारण नहीं बता सका है जोकि तात्त्विक विरोधाभास की श्रेणी में आता है। क्योंकि न्यायालयीन साक्ष्य व पुलिस कथन में विरोधाभासी रूप से अभिलिखित स्वतंत्र साक्षी के स्थान पर अन्य स्वतंत्र साक्षी का नाम बताया गया है।
12. सी.आर.मीणा अ0सा05 ने पैरा 2 में इंकार किया है कि उसने मौके पर आयुध सीलबंद नहीं किया था और यह स्वीकार किया है कि जप्ती पत्रक प्र0पी-1 पर नमूना सील खाली था। योगेन्द्र अ0सा04 ने भी पैरा 2 में कथन किया है कि उसे याद नहीं है कि आयुध पर गवाहों के हस्ताक्षर की चिट लगी थी या नहीं। सुरेश अ0सा06 ने भी पैरा 2 में कथन किया है कि उसे ध्यान नहीं है कि जब कट्टा व राउण्ड जांच हेतु प्राप्त हुए थे तब उस पर नमूना सील लगी थी या नहीं। और उसे यह भी ध्यान नहीं है कि कट्टे पर जप्ती के गवाह की सील या पर्ची लगी थी या नहीं। जप्ती पत्रक प्र0पी-1 के अवलोकन से प्रकट होता है कि उस पर नमूना सील अंकित नहीं है। साक्षी सी.आर.मीणा अ0सा05 ने भी मुख्यपरीक्षण में यह कथन नहीं किया है कि उसने कट्टा सीलबंद किया था। अतः योगेन्द्र अ0सा04 व सुरेश अ0सा06 जिनके समक्ष पश्चातवर्ती प्रक्रम पर आयुध प्रेषित किया गया है स्पष्ट साक्ष्य नहीं दे सके हैं कि उन्हें आयुध सीलबंद प्राप्त हुआ था अथवा नहीं। जप्ती पत्रक प्र0पी-1 पर भी नमूना सील अंकित नहीं है जिसका कोई कारण भी नहीं बताया गया है। अगर वस्तुतः मौके पर आयुध सीलबंद किया जाता तो सील का नमूना जप्ती पत्रक प्र0पी-1 पर अंकित किया जाता। अतः आयुध सीलबंद किया जाना ही विश्वसनीय रूप से प्रमाणित नहीं होता है और इस संबंध में न्यायदृष्टांत जान्हवी बनाम हरियाणा राज्य 1997 कि.लॉ.ज. 48 अवलोकनीय है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभिमत दिया गया है कि अगर बरामद किया गया आयुध सीलबंद नहीं किया गया तब अभियुक्त को अपराध का दोषी नहीं माना जा सकता है।
13. सी.आर.मीणा अ0सा05 ने पैरा 2 में कथन किया है कि वह लोग 17:00 बजे के पूर्व थाने से निकले थे जिसका इन्द्राज भी रोजनामचा में किया था। शिवदत्त अ0सा03 ने भी पैरा 2 में कथन किया है कि वह लोग 16:50 बजे निकले थे अतः सी.आर. मीणा अ0सा05 के कथनानुसार वह रोजनामचे में प्रविष्टि कर थाने से रवाना हुए थे परन्तु अभियोजन द्वारा साक्ष्य में रोजनामचा प्रदर्श नहीं कराया गया है। सी.आर.मीणा अ0सा05 ने पैरा 2 में स्वीकार किया है कि रोजनामचा का नंबर जप्ती पत्रक व एफ.आई.आर. प्र0पी-6 में भी अंकित नहीं है। जप्ती पत्रक प्र0पी-1 में पैरा न 1 में रोजनामचा सान्हा क्रमांक अंकित नहीं है और ना ही गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी-2 में रोजनामचा सान्हा क्रमांक उल्लिखित है। जिसका पद

रिक्त है। अतः जबकि स्वयं फरियादी रोजनामचा में प्रविष्टि कर घटनास्थल पर जाना बता रहा है तब पुलिस साक्षीगण की घटनास्थल पर उपस्थिति प्रमाणित करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य रोजनामचा सान्हा अभियोजन द्वारा पेश न किया जाना महत्वपूर्ण लोप है और घटनास्थल पर विरचित दस्तावेज जप्ती पत्रक प्र०पी-1 व गिरफ्तारी पत्रक प्र०पी-2 में भी रोजनामचा सान्हा क्रमांक का कॉलम रिक्त रखा जाना वस्तुतः पुलिस साक्षीगण की घटनास्थल पर उपस्थिति संदेहास्पद बनाता है।

14. न्यायदृष्टांत विनोद कुमार शुक्ला बनाम म०प्र०राज्य 1999 क्रि.लॉ.ज. 4507 में अभिनिर्धारित किया गया है कि स्वतंत्र साक्ष्य के अभाव में पुलिस साक्षीगण के कथन पर भी विश्वास किया जा सकता है परन्तु ऐसी दशा में पुलिस साक्षीगण की साक्ष्य पूर्णतः निर्भर रहने योग्य और विश्वसनीय होनी चाहिए परन्तु वर्तमान मामले में पुलिस साक्षीगण के कथन से आयुध घटनास्थल पर सीलबंद किया जाना ही विश्वसनीय रूप से प्रमाणित नहीं किया है। घटनास्थल पर पुलिस साक्षीगण की उपस्थिति प्रमाणित करने के लिए रोजनामचा सान्हा का जप्ती पत्रक प्र०पी-1 और गिरफ्तारी पत्रक प्र०पी-2 में रिक्त स्थान अकारण छोड़ा गया है। शिवदत्त अ०सा०३ ने कथन प्र०डी-1 से भिन्न न्यायालयीन साक्ष्य में मुनेश अ०सा०२ की उपस्थिति बतायी है जबकि कथन में अन्य सुरेश की उपस्थिति बतायी है पुलिस साक्षी होने से उक्त तथ्य महत्वपूर्ण विरोधाभास की श्रेणी में आता है। घटनास्थल भी सी.आर.मीणा अ०सा०५ और शिवदत्त अ०सा०३ ने एकसमान नहीं बताया है यद्यपि कुछ दूरी उल्लिखित की है परन्तु समान रूप से कथन नहीं किया है। अतः उपरोक्त संपूर्ण तथ्यों से पुलिस साक्षीगण सी.आर.मीणा अ०सा०५ व शिवदत्त अ०सा०३ के कथन पर भी निर्भर नहीं रहा जा सकता है जिसके परिणामस्वरूप अभियोजन अपना मामला युक्तियुक्त संदेह के परे प्रमाणित करने में असफल रहता है और यह युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध नहीं होता है कि आरोपी ने दिनांक 16.10.11 को 17:00 बजे सर्किट हाउस के पास मौ मेहगांव रोड गोहद रोड तिराहा पर अपने अधिपत्य में एक 315 बोर का कट्टा, एक जिंदा राउण्ड व एक 315 बोर का खोखा अवैध रूप से अपने अधिपत्य में रखा जिसके रखने का उसके पास वैध लाइसेन्स नहीं था।
15. परिणामतः आरोपी को धारा 25(1-बी)ए आयुध अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
16. आरोपी के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।
17. प्रकरण में जप्त आयुध व राउण्ड अपील अवधि पश्चात निराकरण हेतु जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को भेजा जाये और अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये।

दिनांक :-

सही / -

(गोपेश गर्ग)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड म०प्र०